



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124591

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19104/2026

राधेश्याम

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता :

मृत्युंजय सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय सिंह और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री भूपेंद्र पाल सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. जांच अधिकारी द्वारा नोटिस तामील किए जाने के बावजूद प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 61/2026, धारा 137(2), 64(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और धारा 3/4(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत, पुलिस थाना-हाथरस जंक्शन, जिला-हाथरस में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रथम शिकायतकर्ता की बेटी 10.03.2026 से लापता है और अपीलार्थी पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया गया है। इसके बाद, जब लड़की वापस लौटी, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए,

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह लगभग 18 वर्ष की है और अपीलार्थी से प्रेम संबंध रखती है और उससे शादी करना चाहती है और उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और अपीलार्थी के कमरे में रहने लगी। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, यहां तक कि पीड़िता ने स्वयं भी आंतरिक चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था। इसलिए, बलात्कार का कोई सबूत नहीं है। वैसे भी, घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष थी। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी 24.03.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **राधेश्याम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

10. अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को **अलीगढ़ जेल अधीक्षक** के माध्यम से ईमेल या ई-कारागार पोर्टल द्वारा और निचली अदालत को ई-मोड द्वारा 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही **पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम**

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय
29.05.2026 को लिया गया था।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

2 जून, 2026

एस. सी.

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।